प्रस्तावना/विभागीय परिचय

लोक निर्माण विभाग प्रदsश का एक मुख्य एवं वृहद विभाग है]जिससे सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचनाओ को समय से उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है और विभाग इसका निर्वहन भलीभाWती कर रहा है। सूचनाओ को समयबद्ध उपलब्ध कराने हेतु विभाग में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में मुख्य अभियन्ता(परिवाद) को जनसूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को सहायक जनसूचना अधिकारी नामित किया गया है। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर प्रमुख अभियन्ता(परि0नि0)को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। प्रदsश के समस्त जनपदों में जनपद से सम्बन्धित सूचनाओ हेतु जनपद के अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड को जनसूचना अधिकारी तथा खण्ड से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के शासन स्तर पर सभी अनुभागो के अनुभाग अधिकारी को जनसूचना अधिकारी नामित किया गया है।